।। कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी ।।

विज्ञप्ति संख्याः– 102 / सात–38(2014–15) / विज्ञप्ति–2015, दिनांक, नई टिहरी, अक्टूबर, 01,2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद टिहरी गढ़वाल में रिक्त एवं वर्ष 2015 तक सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए 07(सात) अभ्यर्थियों का राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । **आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी में पंजीकृत डाक द्वारा अन्तिम तिथि 10 नवम्बर, 2015 तक अपराह्न 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।** आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के अपराह्न 5:00 बजे के पश्चात् तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे । अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन अवश्य लिखा होना चाहिए:–

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी ।
3. अभ्यर्थी केवल एक ही पद (पटवारी) के लिए तथा एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।
4. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना आवश्यक है।
5. अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समक्षा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना भी आवश्यक है)।
6. **आवेदन शुल्क–** सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से रूपये 300 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों से रूपये 150 के लिए बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल ऑडर जो जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के नाम देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. **शारीरिक मानक / दक्षता :–(क)** पुरूष अभ्यर्थीयों के लिए न्यूनतम ऊचाई–168 सेमी0 एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 होनी आवश्यक है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 तक की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 05 सेमी का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 05 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। **(ख)** पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10

किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगें।

8. **अधिमान्य अर्हताः–** सीधी भर्ती के पदों पर जिन अभ्यर्थियों का संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन हुआ है, में अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती हेतु विहित प्रशिक्षण के लिए अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः–
(क) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो।
(ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" या "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

9. **चरित्रः**–सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

10. **वैवाहिक परिस्थतिः–** पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

11. **शारीरिक योग्यता :–**किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तब्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो, किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

12. अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

13. निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

14. आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें एवं निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

15. **उक्त परीक्षा हेतु निम्नवत् पाठ्यकम निर्धारित हैः–**
   1. सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इण्टरनेट, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राज व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन, उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनायें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा एवं खेलकूद से सम्बन्धित प्रश्न, उत्तराखण्ड राज्य का इतिहास, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व से सम्बन्धित स्थल, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल एवं घटनायें, लोक साहित्य, परम्परायें, रीति–रिवाज, वेश–भूषा, मेलें एवं त्यौहार, लोक गायन, लोक–नृत्य, वाद्य यंत्र आदि । **(100 प्रश्न)**
   2. सामान्य बुद्विमता से सम्बन्धित शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे उसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अन्तरों, स्थानिक कल्पना, समस्या–समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, श्रृंखला,

अंकगणितीय गणना, सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना व उनका निर्वचन करना तथा अन्य विश्लेषण कार्य से सम्बन्धित प्रश्न आदि । **(50 प्रश्न)**

3. प्रदेश की प्रचलित भाषायें व बोलियों से सम्बन्धित शब्दावली, हिन्दी भाषा के मुहावरे, वर्तनी, लोकोक्तियाँ, विलोम, अनेकार्थ, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि विग्रह, अलंकार, समास, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली । **(50 प्रश्न)**

नोटः– उक्त वस्तुनिष्ठ 200 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु 03 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है ।

16. राजस्व अनुसेवकों के राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद पर प्रोन्नति के दृष्टिगत राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद घट बढ़ सकते हैं।

17. उक्त विज्ञप्ति वैवसाइट www.tehri.nic.in पर उपलब्ध है।

18. **जनपद टिहरी गढ़वाल की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–**

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित			
		कुल पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण				कुल पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण				कुल पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण				कुल पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण		
	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0
07	–	–	–	–	01	–	–	–	06	02	–	–	–	–	–	–

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या–　　　　　　　　　　आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि–10 नवम्बर, 2015

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

1.आवेदित पद का नाम–...
(उम्मीदवार स्वंय लिखे)
2. आवेदक का नाम– हिन्दी में–...
　　　　　　अंग्रेजी मे–...

3. पिता/पति का नाम–...
4. निवास स्थान–...
5. (क) जन्म तिथि– अक्षरों में...........................शब्दों में...
(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आयु.............वर्ष...............माह................दिन......................
6. मूल एवं स्थाई निवास– ग्राम.......................पोस्ट...........पटवारी क्षेत्र............तहसील...................
7. पत्र व्यवहार का पता–..
(पिन कोड सहित)
8. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या................दिनांक................कार्यालय का नाम–..............
9. शैक्षिक योग्यता–

क0सं0	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. हाईस्कूल						
2. इण्टरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. अन्य						

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ?– हॉ/नहीं
11. अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12 अभ्यर्थी की श्रेणी– आरक्षित/अनारक्षित–...................................
13. जाति– अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. होरिजन्टेल आरक्षण–
महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।
15. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी।

अग्रसारित हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय की मुहर)

16. आवेदन शुल्क..................बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर संख्या.........................दिनांक.................
धनराशि.........................
17. राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्तः–
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

18. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समक्षा जायेगा।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाए मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य है। कोई प्रविष्टि अस्पष्ट, अपूर्ण, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रकिया से वंचित किया जायेगा, इस संबंध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा तथा आवेंदक का अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किया जायेगा एवं सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

प्रवेश पत्र

अनुकमांक..................................

श्री / श्रीमती / कु0..पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री........................ ....निवासी ग्राम.................................पटवारी वृत....................................तहसील.......... ....जिला...उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र.. .... में पटवारी के रिक्त पदो के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देशः—

1. आवेदन पत्र के साथ रूपये 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।

2. चयन परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

3. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जनपद टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जायं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।

6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पैन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल पाठ्य सामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रोनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं है, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

9. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां पाये जाने पर प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे।

10. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

11. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

12. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी।

13. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक दक्षता में पुरूष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 10 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

14. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के चयन हेतु शारीरिक मानक पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिये 152 सेमी0 अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिये सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 05 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। (उक्त छूट के लिये पर्वतीय क्षेत्र के निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/XVII-2/2011-29 स0क0(2003) दिनांक 25.03.2011 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग जन के लिए आरक्षण हेतु समूह–'ग' के पदों के चिन्हांकन में लेखपाल का पद सम्मिलित किया गया है । उल्लेखनीय है कि पटवारी का पद विकलांग आरक्षण के लिए चिन्हित नहीं है ।

15. शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल होने पर ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

16. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ 200 अंकों की होगी । शारीरिक परीक्षण में सफल होने पर ही शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र क्वॉलीफाइंग होगी । लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे । अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा ।

उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंको का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पैन से भरें। एक बाद उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

17. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे की उत्तर पत्रक को मोड़ा नहीं जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नहीं जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।

18. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका(बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।